डिस्कलेमर

अंतरिम आदेश संख्या 28/2022-23 का हिंदी अनुवाद संलग्न है। इस हिंदी पाठ के अंतर्गत दी गई किसी भी व्याख्या या अर्थ के संदर्भ में कोई भी भ्रांति या संदेह होने पर कृपया अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए।

फा. सं. ऐरा /20010/एमवाईटीपी/जीएएल/कार्गो/मोपा-गोवा/सीपी-I/2022-23

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

आदेश संख्या 28/2022-23

ऐरा भवन,
प्रशासनिक कॉमप्लेक्स,
सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली– 110003

जारी करने की तारीख: 14 नवम्बर, 2022

सेवा	**:**	**कार्गो हैंडलिंग सेवाएं**
सेवा प्रदाता	**:**	**जीएमआर एयरपोर्ट्स लिमिटेड (जीएएल)**
हवाईअड्डा	**:**	**गोवा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, मोपा, गोवा**
हवाईअड्डा प्रचालक	**:**	**गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (जीआईएएल)**

जीएमआर एयरपोर्ट्स लिमिटेड द्वारा गोवा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, मोपा में प्रदान की जाने वाली अंतरदेशीय और अंतरराष्ट्रीय कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख ("सीओडी") से 30.09.2023 तक के लिए तदर्थ टैरिफ निर्धारित करने के मामले में

आदेश

रिकॉर्डों में उपलब्ध तात्विक सामग्री पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरांत प्राधिकरण भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 13(1) (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा आदेश देता है कि :

(i) जीएमआर एयरपोर्ट्स लिमिटेड (जीएएल) को एमवाईटीपी प्राप्त होने पर **संलग्नक-I** के अनुसार **सीओडी से 30.09.2023 तक**, **या** प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के लिए नियमित टैरिफ निर्धारित किए जाने तक, जो भी पहले हो, कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के लिए तदर्थ आधार पर टैरिफ वसूल और संग्रहित करने की अनुमति दी जाती है।

(ii) यह आदेश गोवा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, मोपा, गोवा में प्रस्तावित कार्गो हैंडलिंग सेवाएं प्रांरभ होने से पूर्व सभी अपेक्षित विनियामक और सांविधिक अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही प्रभावी किया जाएगा। इसके अतिरिक्त स्वतंत्र सेवा प्रदाता बिल्ट अप पैलेट की हैंडलिंग के संबंध में सुरक्षा से संबंधित अनुपालन सुनिश्चित करें।

(iii) जीआईएएल, हवाईअड्डा प्रचालक और हवाईअड्डा रियायतग्राही, "संबंधित पक्षकार लेनदेन" और "आर्म्स' लेंथ (खंड 5.6.2, 5.6.3 और 11.12 सहित) से संबंधित गोवा सरकार द्वारा दी गई रियायत के सभी संगत खंडों तथा संबद्ध पक्षकार लेनदेन और आर्म्स' लेंथ कीमत निर्धारण से संबंधित अन्य संगत शर्तो एवं निबंधनों का अनुपालन सुनिश्चित करें।

(iv) ऊपर बताए अनुसार निर्धारित टैरिफ प्रयोक्ताओं से वसूली जाने वाली अधिकतम टैरिफ होगी और अनुमोदित टैरिफ के अतिरिक्त अन्य कोई प्रभार नहीं लगाया जाए।

(v) ऊपर बताए अनुसार अनुमोदित टैरिफ में लागू सभी सरकारी कर, यदि कोई हो, शामिल नहीं है।

(vi) स्वतंत्र सेवा प्रदाता (आईएसपी) ऐरा सीजीएफ दिशा-निर्देश, 2011 (खंड 11.4) के अनुसार मोपा, गोवा हवाईअड्डे पर अपनी कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के लिए अलग लेखों का रख-रखाव करेगा और प्रत्येक लेखांकन वर्ष (31 मार्च को समाप्त) के वार्षिक अनुपालन विवरण (एसीएस) प्रस्तुत करेगा।

(iv) हवाईअड्डा प्रचालक इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चत करेगा।

प्राधिकरण की ओर से जारीकर्ता

(कर्नल मनु सूदन)
सचिव

सेवामें,

श्री राकेश अरोड़ा,
मुख्य कार्यपालक अधिकारी-बीडी, जेवीएस एंड एडजेनसिस,
जीएमआर एयरपोर्ट्स लिमिटेड,
न्यू उड़ान भवन, टर्मिनल 3 के सामने,
इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा,
नई दिल्ली -110037

प्रतिलिपि,

1) सचिव, नागर विमानन मंत्रालय, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली–110003
2) श्री के नारायण राव, निदेशक, गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, न्यू उड़ान भवन, टर्मिनल -3 के सामने, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, नई दिल्ली -110037